कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

क्रमांक / 1775 / नर्सिंग(छात्र) / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक / 11.11.2026

सूचना

(प्रवेश वर्ष 2026– प्रथम ऑनलाईन पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग काउंसिलिंग आबंटन)

छत्तीसगढ़ राज्य के **पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये** शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की (शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन नियतांश की स्नातक सीटों सहित) का प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग आबंटन सूची जारी की गई। सभी आबंटित अभ्यर्थी **''छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (मैनेजमेंट) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु ''छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2026''** का नियम 09 का अध्ययन अवश्य कर ही, स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें।

यद्यपि अभ्यर्थी से ''छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2026'' के सभी नियमों को अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। आबंटन उपरांत नियमानुसार उचित प्रक्रिया के अभाव में अभ्यर्थी अपात्र हो सकते हैं।

यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी निजी संस्था का चयन कर लेता है जिसका नाम ऑनलाइन आवंटन के दौरान प्रदर्शित हो जाता है, परंतु अभ्यर्थी उस संस्था में प्रवेश नहीं लेना चाहता, इस स्थिति में उन्हें संवीक्षा की बाध्यता नहीं होगी एवं वे अगले चरण में स्वतः बने रहेगें। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय / विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। तथापि आबंटित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय / विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी अगले चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया में नवीन अभ्यर्थी के रूप में पंजीयन करा सकेगें। दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आबंटित शासकीय नर्सिंग संस्था में प्रवेश लेकर द्वितीय काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे। **[देखें छ.ग. नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2026 के नियम 9 का उपनियम (दस)]**

आबंटित अभ्यर्थी प्रवेश नियम 2026 का नियम 9 काउंसिलिंग तथा इससे संबंधित अन्य नियमों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं एवं अपात्र होने से बच सकें।

<u>आबंटित अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार अधोलिखित तिथियों में स्कूटनी एवं प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करें तथा सदैव प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व ही उपस्थित होकर, कार्यवाही पूर्ण करना एक सुरक्षित प्रक्रिया है।</u>

स्कूटनी एवं प्रवेश हेतु दिनांक जानकारी –

क.	विवरण	दिनांक
1	स्कूटनी (आबंटन पत्र में उल्लेखित आबंटित संस्था में)	दिनांक 12.11.2026 (11:00 Hrs) से 14.11.2026 (17:00 Hrs) तक (Server Time)
2	प्रवेश (आबंटन पत्र में उल्लेखित आबंटित संस्था में)	दिनांक 12.11.2026 (11:00 Hrs) से 14.11.2026 (17:30 Hrs) तक (Server Time)
3	अपग्रेडेशन (Upgradation) चयन	दिनांक 12.11.2026 (17:00 Hrs) से 14.11.2026 (17:30 Hrs) तक (Server Time)

निरंतर //2//

सभी संस्था अवकाश के दिनों में भी स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया की व्यवस्था बनाये रखें।

नोट–

1. **स्कूटनी की प्रक्रिया आबंटित संस्था में ही की जायेगी, जिस हेतु संबंधित संस्था स्कूटनी की व्यवस्था दस्तावेजों की जांच में ''छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2026'' का अक्षरशः पालन करें। (अवश्य देखें नर्सिंग प्रवेश नियम 9 काउंसिलिंग प्रक्रिया) यद्यपि अभ्यर्थी/संस्था से सभी नियमों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है, ताकि उचित प्रक्रिया एवं नियम का पालन कर सकें।**
2. प्रवेश उपरांत **Admission Receipt** जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः अभ्यर्थी भी रूचि लेकर **Admission Receipt** संस्था से जारी करायें तथा उसकी एक कॉपी अवश्य लें। **[देखें छ.ग. नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2026 के नियम 9 का उपनियम (पच्चीस)]**

 स्कूटनी की अंतिम तिथि को रात्रि 11.59 बजे (23:59 Hrs) तक Scrutiny Receipt जारी कर सकेगें।

 संस्था प्रवेश की अंतिम तिथि को रात्रि 11.59 बजे (23:59 Hrs) तक Admission Receipt जारी कर सकेगें।
3. स्कूटनी में अथवा प्रवेश में नियम विरूद्ध अर्थात स्कूटनी में अपात्र अथवा प्रवेश में अपात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं स्कूटनी हेतु संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा न्यायालयीन प्रकरणों में भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी एवं स्पष्टीकरण संस्था को स्वयं देना होगा। **[देखें नर्सिंग प्रवेश नियम 9 काउंसिलिंग प्रक्रिया का उपनियम (बारह)]**
4. आगामी काउंसिलिंग आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgdme.co.in** का नियमित प्रतिदिन अवलोकन करें। **सभी सूचनाऐं वेबसाईट पर प्रसारित होंगी।**
5. सभी शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की सभी प्रकार की सीटों का आबंटन, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। **अतः किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।**

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

अध्यक्ष
काउंसिलिंग समिति (नर्सिंग पाठ्यक्रम)
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छ.ग.